

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
री ब्लाक, स्वास्थ्य गवन, शिलक मार्ग
री स्कोर, जयपुर

फोन:- 0141-5110736

क्रमांक: प.()/मु.अ./चि.एव.स्वा./2013-14/ 738

फैक्स:- 0141-5110736

दिनांक:- 4-7-13

निदेशक,
जनसम्पर्क निदेशालय,
राज0 जयपुर।

विषय:- ई-निविदा सूचना -- 11/2013-14 प्रकाशित कराने के संबंध में।

गहोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निविदा नोट (समाचार पत्रों में प्रकाशन बाबत) की सात प्रतियों व विस्तृत निविदा (DIPR की वेब साईट पर अपलोड करने बाबत) की दो प्रतियों संलग्न कर प्रकाशित कराने हेतु भिजवाई जा रही हैं। उक्त विज्ञापन को न्यूनतम रैपेस में एक बार राज्य सरकार के वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशन नियमों अनुसार प्रकाशित करवाने का श्रम करें।

प्रकाशन की सूचना एवं बिल तीन प्रतियों में भुगतान हेतु प्रेषित करावें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

मुख्य अभियन्ता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
जयपुर

क्रमांक: प.()/मु.अ./चि.एव.स्वा./2013-14/ 738

दिनांक:- 4-7-13

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन डायरेक्टर एन.आर.एच.एम., जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जयपुर, जोधपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (समस्त)।
6. नोटिस बोर्ड मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
7. नोटिस बोर्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
8. कन्सलटेंट आ.ई.टी., एन. आर. एच. एम. जयपुर को विभागीय वेब साईट पर लोड करने बाबत।

मुख्य अभियन्ता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
जयपुर

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

सी.ब्लाक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: प.(4)/मु.अ./चि.एवं.स्वा./2013-14/ 738

फोन:— 0141-5110736

फैक्स:— 0141-5110736

दिनांक:— 4-7-13

ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना — 11/2013-14

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न स्थानों पर मय तीन वर्ष का दोष निवारण (डिफेक्ट लाइबिलिटी) अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों ए जो कि राजस्थान सरकार के एए.व.ए.श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से (पोटेनशियल असेसमेंट/पोस्ट क्वालिफिकेशन (संशोधित) अनुसार) निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदायें आमन्त्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु.लाखों में)	घरोहर राशि (रु. में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	संबंधित अधिकारी अभियंता, कार्यालय	ऑन लाइन निविदा खोलने का कार्यालय
1.	सामान्य जिला चिकित्सालय झूंगरपुर में 100 बिस्तर के MCH Unit के निर्माण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	936.00	18,72,000	18 माह	अधिकारी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उदयपुर	मुख्य अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर
2.	राजकीय जिला चिकित्सालय नागौर में 100 बिस्तर के MCH Unit के निर्माण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	788.00	15,76,000	18 माह	अधिकारी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अजमेर	मुख्य अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर
3.	राजकीय जिला चिकित्सालय धोलपुर में 100 बिस्तर के MCH Unit के निर्माण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	840.00	16,80,000	18 माह	अधिकारी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गरतपुर	मुख्य अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर

निविदा प्रपत्रों को वेब साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा कराएं।


निविदा हेतु पात्र संवेदकों की श्रेणी:-

- | | |
|------------------|---------------------|
| किसी भी सीमा तक | : एए. श्रेणी संवेदक |
| रुपये 300 लाख तक | : ए. श्रेणी संवेदक |
| रुपये 150 लाख तक | : बी. श्रेणी संवेदक |

- वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1(1)एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सार्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रु. तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50.00 लाख रुपये अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रु. की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त ८००/- रु. होगी जो डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।

2. धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गयी कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी। निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / पे आर्डर अधिशासी अभियन्ता भेडिकल एण्ड हैल्थ A/c स्टेट हैल्थ सोसायटी के नाम देय होगा।
 3. निविदा डाउनलोड, अपलोड, खोलने एवं दस्तावेज जमा कराने आदि की तिथि व स्थान निम्नानुसार रहेगा :-
 - अ निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अवधि दिनांक 12.07.13 समय 9:00 बजे से 05.08.13 सांय 5.00 बजे तक होगी।
 - ब निविदा शुल्क व धरोहर राशि एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जयपुर एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता अथवा अधिशासी अभियंता कार्यालय में 06.08.13 अपरान्ह 1.00 बजे तक जमा कराया जा सकेगा।
 - स निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में बेब साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर 05.08.13 6.00 PM तक अपलोड कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त निविदायें इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में बेब साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर मुख्य अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 06.08.13 को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी।
 - द संबंधित अधिशासी अभियन्ता, चि. एवं स्वा. कार्यालय में संवेदक द्वारा 12.07.13 समय 9:00 बजे से 05.08.13 सांय 5.00 बजे तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा बेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर भी देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग, विभिन्न कार्यों की गात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।
1. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
 2. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति / पत्नी) कार्य से सम्बन्धित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
 3. राज्य सरकार में किसी भी अधियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां सेवाएं लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
 4. निविदादाता इन प्रपत्रों को Download कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमाउंड ड्राफ्ट / पे आर्डर के रूप में अधीक्षण अभियन्ता, चि. एवं स्वा. जयपुर कार्यालय में निर्धारित तिथि व समय तक जमा कराना आवश्यक है।
 5. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। अतः पी.डब्ल्यू.ए—100 की समस्त शर्तें मान्य होगीं।
 6. संवेदक द्वारा उक्त कार्यों के लिये निर्धारित मशीनरी जो निविदा की स्पेशल कंडीशन में वर्णित है, को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।
 7. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि शामिल है।
 8. कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात तीन वर्ष तक रहेगा।
 9. ई-टेन्डरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश
 - अ. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड (Download) कर सकते हैं।
 - ब. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदाताओं को इन्टरनेट साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट – 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी री ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट हैं, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

- स. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव रवीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में रवीकार्य नहीं होगा।
- द. ऑन लाइन निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जायेगी।
- ए. इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेव कर दी गयी है।
- फ. कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- ग. टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाइन दर्ज करें।
10. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि तथा आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के डिग्राप्ट ड्राप्ट/बैंकर चैक के साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं बिक्री कर युक्ता का प्रमाण पत्र की प्रतियां बैब साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना आवश्यक है तथा उक्त दस्तावेज की भौतिक प्रतियां आवश्यक रूप से निविदा शुल्क व धरोहर राशि एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के साथ जमा कराना होगा।
 यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी। निविदा खोलने की तिथि को किसी कारण वश यदि सारी निविदाएँ नहीं खोली जा सकती हैं तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाएँ खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
 पोस्ट क्वालिफिकेशन में रेसपोन्सिव निविदादाताओं की वित्तीय बिल खोलने की सूचना निविदादाताओं को ई-मेल से दी जायेगी।
 जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।



मुख्य अभियन्ता,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
(राज.), जयपुर